फर्द अहकाम

बालीदेवी बनाम मैहताब वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 157/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	13/6/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उप०। पत्रावली में बहस कुर्दपीद पर आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से करें। पत्रावली दिनांक 5/7/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर
	5/7/17	पत्रावली पेश हुई। P.O. अवकाश पर। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब ___ दिनांक 25/7/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	25/7/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पत्रावली में आगामी पेशी पर बहस आवश्यक रूप से करें। पत्रावली दिनांक 13/8/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर
	13/8/17	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/9/17 पेश हो। (हस्ताक्षर)
	8/9/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र मय रिकार्ड पर सुनी गई। तलब पत्रावली

फर्द अहकाम

माताडोली बनाम भैरूराम आदि
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
57/2016

आज्ञा या	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	का अवलोकन किया। वकील उभय पक्षों की बहस समाप्त की गई। वकील उभय पक्षों ने बहस की [illegible]। अतः वादी का वाद [illegible] धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० के [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा वाद को तकासमा हेतु निर्णीत किया जाता है। बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया जो शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] बाद पूर्ति [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

(52)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
157 / 2016	19 / 09 / 2016	05 / 09 / 2024

1. लालीदेवी पत्नि छोटूराम आयु 53 वर्ष जाति मीणा निवासी छापरवाली ढाणी, ग्राम पालडी मीणा, आगरा रोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1. भैरूराम पुत्र गंगाराम आयु 58 वर्ष जाति मीणा निवासी छापरवाली ढाणी ग्राम पालडी मीणा, आगरा रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादीया
श्री राजेश कुमार पारीक :– वकील प्रतिवादी सं० 1

दावा बाबत तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 188 आर०टी०एक्ट

–: निर्णय :–

वादीया की ओर से एड० श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम रूपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 1.2700 है० भूमि है। जिसके वादीया का हिस्सा 5/8 एवं प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा 3/8 स्थित है। वादीया जिसकी संयुक्त खातेदार है जिसका विधिक रूप से तकासमा नही हुआ है। अतः हिस्से व कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुये सरस–नरस के आधार पर तकासमा कर वादीया का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग–अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 12.06.2018 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई तथा वकील उभय पक्षों को कुर्रेजात पर समझाईश की गई। वकील उभय पक्षों द्वारा कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपवास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

क्र0सं0	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	भैरूराम पुत्र गंगाराम हि0 3/8, लाली देवी पत्नि छोटूराम हि0 5/8 जाति मीणा सा0 पालडी मीणा खातेदार	304	1.27	बा0 2	—
	योग	किता 1	1.27	—	—

—: प्रस्तावित :—

क्रम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	भैरूराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा सा0पालडी खातेदार	304/1	0.45	बा0 2	—
	योग	किता 1	0.45	—	—
	लाली देवी पत्नि छोटूराम जाति मीणा सा0 पालडी खातेदार	304/2	0.74	ब0 2	—
	योग	किता 1	0.74	—	—
	शामलाती	304/3	0.0800	बा0 2	—
	योग	किता 1	0.0800	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 05/09/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ